



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 फाल्गुन 1947 (श10)
(सं0 पटना 262) पटना, बुधवार, 11 मार्च 2026

विधि विभाग

अधिसूचना

9 मार्च 2026

सं० सं०-05/ए0एस0-50-07/2026-विधि/2005/जे0—बिहार नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 एवं बिहार विधि पदाधिकारी (वचनबद्धता) नियमावली, 2023 के प्रावधानानुसार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सुपौल के परामर्श से जिला दंडाधिकारी, सुपौल द्वारा प्राप्त अनुशंसा सूची के आलोक में सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार ने निम्नांकित स्तम्भ-4 में अंकित अधिनियम के प्रावधानों के तहत स्तम्भ-2 में अंकित अधिवक्ताओं को उनके पद ग्रहण की तिथि से तीन वर्षों के लिए विशेष लोक अभियोजक के पद पर नियुक्त करने की कृपा की है:—

क्र० सं०	अधिवक्ता का नाम	पंजीयन संख्या	अधिनियम
1	2	3	4
1.	श्री महेन्द्र प्रसाद साह	1610 / 1994	लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम (POCSO)
2.	श्री इन्द्रजीत कुमार आजाद	1811 / 1996	बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम
3.	श्री शैलेन्द्र प्रताप सिंह	287 / 1975	मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम
4.	श्री रविन्द्र कुमार	1985 / 1997	पर्यावरण एवं वन विभाग
5.	श्री विनय भूषण सिंह	1228 / 1995	मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम (कोर्ट-1)
6.	श्री राज नारायण देव	1499 / 1994	आवश्यक वस्तु अधिनियम (अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय वीरपुर के लिए)
7.	श्रीमती कविता कुमारी-1	2394 / 2000	मानव व्यापार एवं बाल श्रमिक अधिनियम
8.	श्री गणेश कुमार सिंह	330 / 2005	श्रम अधिनियम
9.	श्री श्याम सुन्दर कुमार	658 / 1996	एन0डी0पी0एस0 अधिनियम

2. कंडिका-1 में अंकित नवनियुक्त विशेष लोक अभियोजकों की कालावधि पी0पी0 मैनुअल के नियम-137 के प्रावधानानुसार तीन वर्षों की होगी। इस आलोक में कालावधि समाप्ति के 04 माह पूर्व नई नियुक्ति हेतु अनुशंसा सूची उपलब्ध कराने के संबंध में जिला दण्डाधिकारी, सुपौल द्वारा आवश्यक अग्रोत्तर कार्रवाई की जायेगी।
3. इस नियुक्ति के फलस्वरूप संबंधित अधिनियम के तहत जिला में पूर्व से नियुक्त विशेष लोक अभियोजक/प्रभारी विशेष लोक अभियोजक की सेवा स्वतः समाप्त हो जायेगी।
4. विधि विभागीय स्वीकृतिदेश संख्या-1547, दिनांक-24.02.2023 के प्रावधानानुसार नवनियुक्त विशेष लोक अभियोजकों को निर्धारित मासिक शुल्क देय होगा।
5. कंडिका-1 में अंकित नवनियुक्त विशेष लोक अभियोजक अगर पूर्व में अपने जिला में किसी विधि पदाधिकारी यथा-विशेष लोक अभियोजक, सरकारी वकील, अपर लोक अभियोजक, सहायक सरकारी वकील इत्यादि के पद पर अथवा किसी सरकारी परियोजना में कार्यरत हो तो उन्हें कार्यरत पदों में से जिस पद का निर्धारित मासिक शुल्क अधिकतम होगा, केवल वही शुल्क अनुमान्य होगा।
6. उक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
7. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अंजनी कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 262-571+50-डी0टी0पी0
Website: : <https://egazette.bihar.gov.in>